मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2018 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 8 मार्च, 2018 (फाल्गुन 17, 1939)

समय 11.00 बजे दिन.

1. शपथ.

उप चुनाव में, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 27 - कोलारस से निर्वाचित सदस्य, श्री महेन्द्र रामसिंह यादव "खतोरा" तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 34 - मुंगावली से निर्वाचित सदस्य, श्री बृजेन्द्र सिंह यादव शपथ लेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री पारसचंद जैन, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1629/म.प्र.वि.नि.आ./2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री दीपक जोशी, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (क्रमांक 35 सन् 2009) की धारा 38 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार –

(क) अधिसूचना क्रमांक एफ 44-23-15-बीस-2, दिनांक 03 जून, 2017, तथा

(ख) अधिसूचना क्रमांक एफ 44-23-2015-बीस-2, दिनांक 24 अगस्त, 2017,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री संजय पाठक, राज्यमंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त 31 मार्च, 2011) पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में जल स्तर वृद्धि हेतु बांध निर्माण की स्वीकृति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर एवं समीप के जिलों में मादक पदार्थों की तस्करी होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति.

(1) सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी कि –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन से सहमत है.".

(2) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित बावनवां, तिरेपनवां एवं चौवनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री के.डी. देशमुख, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के लहार में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम की सीढ़ियों का निर्माण एवं इण्डोर स्टेडियम सहित दोनों स्टेडियमों में चौकीदार व खेल अधिकारी पदस्थ किये जाने,

(2) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम मारेगांव से बंसुरिया तक सड़क बनाये जाने,

(3) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम फरेदा से पिंडरई मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(4) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने एवं उन्हें नियमित किये जाने,

(5) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना के वार्ड क्र. 08 में सामुदायिक भवन बनाये जाने,

(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम भापेल में हायर सेकेण्ड्री स्कूल का भवन बनाये जाने,

(7) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम राजाखेड़ी में सड़क पर बने एस आकार के घुमाव को समाप्त किये जाने,

(8) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम आमल्दा में उचित मूल्य की दुकान स्वीकृत कर प्रारंभ कराये जाने,

(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम गांवड़ी की ईडर नदी के पास लोंडी नाले पर स्टापडेम बनाये जाने,

(10) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम नरसिंहगढ़ में खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(11) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम भगुवापुरा के अस्पताल का उन्नयन कराये जाने,

(12) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम उमरथाना में पुलिस चौकी स्वीकृत किये जाने,

(13) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम रकरिया से अमरिटी पहुंच मार्ग में बिछिया नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(14) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले की माचक उपनहर का विस्तार किये जाने,

(15) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम मारोरा खालसा से लक्ष्मीपुरा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(16) पं. रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के जवा-डभौरा मार्ग से कर्मा-महिलों पहुंच मार्ग का निर्माण मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कराये जाने,

(17) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम सिघौरा एवं मजरा जिन्द का पुरा में प्राथमिक शाला के भवन का निर्माण किये जाने,

(18) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम हट्टा एवं चांगोटोला में नवीन आई.टी.आई. स्वीकृत किये जाने,

(19) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के मझगवां से मेहगवां रोड का निर्माण किये जाने,

(20) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के विकासखण्ड देवरी में कृषि महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने,

(21) श्री मथुरालाल, सदस्य, रतलाम जिले में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषित स्टापडेम का निर्माण कराये जाने,

(22) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम विगनादीपुरा से खासपुरा कड़लावद एवं अन्य मार्गों का निर्माण किये जाने,

(23) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के नगर ब्यावरा अंतर्गत मुख्य मार्ग के दोनों ओर पेवर्स ब्लॉक लगाकर फुटपाथ निर्माण कराये जाने,

(24) श्रीमती प्रमिला सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम अमरदा के शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(25) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के बकतला तालाब से टीले तक के मार्ग को मॉडल रोड के रूप में विकसित किये जाने,

(26) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम गरेंठा हनुमान मंदिर एवं सेमलाखेड़ी मजरा के पास नवीन हैण्डपंप खनन किये जाने,

(27) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम खरौं के पलयन खेरा एवं काछीखेरा के समीप ई.जी.एस. शाला अथवा प्राथमिक शाला खोले जाने,

(28) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के लवकुश नगर के शासकीय महाविद्यालय में शासन द्वारा बी.एस.सी. (विज्ञान) तथा एम.ए.स्नातकोत्तर संकाय संचालित कराये जाने,

(29) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के विकासखण्ड गौरिहार के शासकीय माध्यमिक शाला एवं अन्य स्कूलों का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(30) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम कीलखेड़ा किला अमरगढ़ एवं अन्य ग्रामों के हाई स्कूलों का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(31) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम रामस्थान टोला सेमराहट में तालाब की मरम्मत किये जाने,

(32) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले की जीरन तहसील में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(33) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम लोहरवास स्थित नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,

(34) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के नगर हटा में चण्डी जी वार्ड में पहुंच मार्ग पर नाली निर्माण किये जाने,

(35) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा .... (क्रमशः).

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 7 मार्च, 2018